an>

Title: Regarding release of 4550 crore to Himachal Government by BBMB

श्री रामस्वरूप शर्मा (मंडी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को बीबीएमबी द्वारा संचालित विद्युत परियोजना में से 7.19 प्रतिशत का हिस्सा मिलना था, लेकिन बीबीएमबी 2.7 प्रतिशत हिस्सा ही देती रही है। प्रदेश सरकार ने इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष कई बार उठाया, लेकिन प्रदेश की इस मांग पर किसी भी स्तर से गौर नहीं किया गया। आखिर, हिमाचल प्रदेश ने इस मामले के संबंध में कानूनी लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसके तहत बीबीएमबी को 4550 करोड़ रुपये का बकाया देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर आज तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसके एवज़ में बीबीएमबी को केन्द्र सरकार ने 1497 करोड़ रुपये का बकाया देने का निर्देश दिया। यह बकाया राशि हिमाचल प्रदेश वैधानिक हिस्सा है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि विद्युत मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश को 4550 करोड़ रुपये की राशि अतिशीघ्र अदा करे। धन्यवाद।